भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4684

दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

.....

निगमों और संगठनों का विलय

4684. श्री इटेला राजेंदरः

श्री हरेन्द्र सिंह मलिकः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एनपीसीसी) सहित मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न निगमों और संगठनों का वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (डब्ल्यूएपीसीओएस) के साथ विलय कर दिया है और एनपीसीसी को पूरी तरह से विलय करने के बजाय एक स्वतंत्र इकाई के रूप में जारी रखने या डब्ल्यूएपीसीओएस की सहायक कंपनी के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विलय संबंधी नियमों का उल्लंघन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे किन्हीं संरचनात्मक परिवर्तनों को लागू करने से पूर्व पारदर्शी वित्तीय और प्रचालनात्मक समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि एनपीसीसी के लाभप्रद ट्रैक रिकार्ड और सरकारी राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए इसके हितों की रक्षा की जाए और इसने सकारात्मक समाधान निकालने के लिए विभिन्न निविदा प्रक्रियाओं में संभावित हितों के टकराव की रूपरेखा तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ङ): रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी), विनिवेश के संबंध में सचिवों के कोर ग्रुप (सीजीडी) और शीर्ष मंत्रालयी स्तर पर अधिकार प्राप्त वैकल्पिक तंत्र को शामिल करते हुए बहुस्तरीय निर्णय लेने वाले तंत्र के माध्यम से पारदर्शी तरीके से की गई थी। ट्रांजेक्शन को ट्रांजेक्शन सलाहकार, कानूनी सलाहकार और परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता जैसे विशेषज्ञों की पेशेवर सलाह द्वारा समर्थित किया गया था, जिन्हें एक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया गया था। जल एवं विद्युत परामर्शी सेवाएं (इंडिया) लिमिटेड (वाप्कोस) ने मार्च, 2019 में भारत सरकार से नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनपीसीसी) लिमिटेड के 98.89% शेयर का अधिग्रहण किया। इसके परिणामस्वरूप, एनपीसीसी वाप्कोस की एक सहायक कंपनी बन गई है। दोनों कंपनियां अपने हितों की रक्षा करते हुए अलग-अलग कानूनी इकाइयों के रूप में कार्य कर रही हैं।

*****